भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1374

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण

1374. श्रीमती प्रमिला बिसाई:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 के अंत में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य-वार आरंभिक शेष राशि, निधि आवंटन, निधि उपयोग और समापन शेष राशि कितनी है;

(ख) वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए उक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राज्य - वार केन्द्रीय हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश के आकांक्षी जिलों में उक्त योजना के अंतर्गत निधि उपयोग की गति धीमी रही है, जिससे इसके परिणाम प्रभावित हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अवसंरचना संबंधी अंतरालों का समाधान करने, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण और शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के मासिक किराए की इकाई दर में वृद्धि करने की क्या योजना है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14 - 18 वर्ष) के लिए पोषण संबंधी सहायता के घटक; प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों की स्कीम सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है और इसे आकांक्षी जिलों सहित पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। स्कीम के उद्देश्यों के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है। स्कीम के सुचारू कामकाज और उचित कार्यान्वयन, जिसमें निधियों का उपयोग भी शामिल है, की समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर निरंतर बातचीत/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की जाती है। केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए धन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास कर रही है।

15वें वित्तीय चक्र की अवधि के लिए आकांक्षी जिलों सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधियों के साथ-साथ उपयोग का विवरण अनुलग्नक- क में दिया गया है।

एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार की प्रवृत्ति देखी गई है। दुबलेपन का प्रतिशत 21% (एनएफएचएस-4) से घटकर 19.3% (एनएफएचएस-5) हो गया है, कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत 35.7% (एनएफएचएस-4) से घटकर 32.1% (एनएफएचएस-5) हो गया है और ठिगनेपन के संकेतक में 38.4% (एनएफएचएस-4) से 35.5% (एनएफएचएस-5) तक गिरावट दिखाई गई है।
इसके अलावा, नवंबर 2023 के महीने के लिए पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, 6 साल से कम उम्र के लगभग 7.44 करोड़ बच्चों को मापा गया, जिनमें से 37.51% गंभीर/मध्यम रूप से ठिगने पाए गए और 17.43% गंभीर/मध्यम रूप से कम वजन वाले पाए गए। पोषण ट्रैकर के अनुसार दुबलेपन की व्याप्तता 6% है, जो एनएफएचएस 5 के स्तर 19.3% से काफी नीचे है।

(घ) वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपने राज्य/ संघ राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपने प्रस्तावों का पूरा विवरण प्रदान करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों की लागत को- क्रमशः 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 17,000/- रुपये और 12,000/-रुपये से 36,000/ रुपये रुपये करना शामिल है।

मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को बिना बुनियादी ढांचे के किराए के भवनों में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान है। एमजीएनआरईजीएस के साथ समन्वय में आंगनवाड़ी

केंद्रों के निर्माण के लिए, निर्माण लागत को 7 लाख रुपये से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति इकाई कर दिया गया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे एमपीएलएडी, एमएलएलएडीएस, आरआईडीएफ (ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि), पंचायती राज संस्थानों को वित्त आयोग अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों से आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए धन जुटाना जारी रखें।

सक्षम आंगनवाड़ी के तहत बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास के लिए देश भर में प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़, उन्नत और नवीनीकरण किया जाना है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 41192 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है और वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 40301 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई है।

सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायक वाले पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया है। 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 1,16,852 लघु-आंगनवाडी केन्द्रों में से, 14 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 56514 लघु- आंगनवाडी केन्द्रों का स्तरोन्नत करने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के दिशानिर्देशों के तहत किराए की राशि को निम्नानुसार बढ़ाया गया है:

ग्रामीण: 1000/- रुपये प्रति माह से 2000/- रुपये प्रति माह

शहरी: 4000/- रुपये प्रति माह से 6000/- रुपये प्रति माह

महानगर: 6000/- रुपये प्रति माह से 8000/- रुपये प्रति माह

****

अनुलग्नक-क

'शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण' के संबंध में श्रीमती प्रमिला बिसोयी द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक।

15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण अभियान और किशोरियों की स्कीम को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत अब तक जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुपये लाख में			
		2021-22		2022-23*	2023-24 (अब तक)*
		जारी निधि	प्रयुक्त निधि	जारी निधि	प्रयुक्त निधि
1	आंध्र प्रदेश	74460.38	74990.85	79210.34	53304.08
2	बिहार	157443.07	160801.5	167871.47	114337.73
3	छत्तीसगढ़	60673.15	52272.36	58909.3	49752.00
4	गोवा	1083.56	1291.72	1452.6	843.99
5	गुजरात	83985.65	75792.18	90097.17	100576.48
6	हरियाणा	17303.35	14698.8	19521.36	17666.92
7	झारखंड	35297.77	18330.29	35733.95	46438.93
8	कर्नाटक	100370.19	98461.76	75118.35	73657.07
9	केरल	38822.74	39797.9	44213.5	22349.37
10	मध्य प्रदेश	108546.91	107787.58	98501.92	100286.09

11	महाराष्ट्र	171338.93	160901.59	163377.2	117208.52
12	ओडिशा	106598.46	96445.74	87506.99	59405.09
13	पंजाब	38351.68	17793.83	7473.96	18749.83
14	राजस्थान	68264.63	77164.16	95301.83	71209.77
15	तमिलनाडु	65538.13	68127.94	74844.97	55340.62
16	तेलंगाना	48232.68	47929.87	51474	11777.08
17	उतार प्रदेश	240755.08	234191.44	268122.42	184067.26
18	पश्चिम बंगाल	66835.22	137830.5	120031.77	95425.83
19	दिल्ली	13310.7	12552.28	18277	10440.10
20	पुद्दुचेरी	277.8	612.87	0.75	408.72
21	हिमाचल प्रदेश	24798.74	25209.25	26051.03	17626.78
22	जम्मू और कश्मीर	40573.74	37918.293	47746.57	37408.37
23	उत्तराखंड	35365.25	33602.58	34877.55	20857.02
24	अंडमान और निकोबार	1971.15	1333.23	431.68	666.99
25	चंडीगढ़	1532.18	2308.52	3309.9	858.71
26	डी. एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	933.39	838.79	579.95	581.80
27	लद्दाख	1469.55	1467.45	1878.52	1746.07
28	लक्षद्वीप	210.52	272.64	44.18	98.26
29	अरुणाचल प्रदेश	17082.84	14564.45	12934.21	11729.66

30	असम	131989.88	143219.22	161876.99	144940.11
31	मणिपुर	22892.04	17728.41	11962.31	14254.83
32	मेघालय	17332.82	17786.35	19170.27	10937.88
33	मिजोरम	5931.57	6196.87	4216.61	3552.39
34	नागालैंड	15980.27	16020.96	19633.32	17518.50
35	सिक्किम	2573.06	2459.08	1968.56	10.49
36	त्रिपुरा	18672.47	17165.52	14746.76	9822.46
	कुल	**1836799.55**	**1835866.77**	**1918469.3**	**1495855.8**

*वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र देय नहीं है।

*****